

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्ट्रिक्ट/अअ-पेटोपेटोएण्टएमठ/फा:सामान्यशाखा/प्रो⁴¹⁵ 445 दिनांक:- 20/5/02

आदेश

विषय :- वर्ष 2002-2003 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में ।

वर्ष 2002-2003 के लिये पब्लिश संख्या क्रमांक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट / अअ / पीठ पीठ एण्ट एमठ / फा सामान्य शाखा / प्रो 359 दिनांक 10.5.02 (अक्टूबर 12) जारी कृषि कनेक्शन नीति में केन्द्रीय-कारिषी द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जानकारी सुझाव करने हेतु अनुरोध किया है । अतः कृषकों के दिनों को ध्यान में रखते हुये तबत आदेश में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाता है -

1. पब्लिश के पैर 2अ में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में साधारण श्रेणी में आवेदन कर रखा है, सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रार्थना पत्र के साथ में अग्रिम रुपये 12000/- जमा करवाकर विशेष श्रेणी में कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे आवेदकों की पूर्व में जमा प्रार्थना पत्र यदि समायोजित कर ली जाये । स्पेशल सूची में जमा करने वाले नये आवेदक एवं पुराने आवेदकों में प्राथमिकता दिये जाने के लक्ष्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक ही दिन में पंजीकृत प्रार्थना पत्रों में पूर्व में सामान्य श्रेणी अन्तर्गत आवेदक को प्राथम शरीयता प्रदान करते हुये मांग पत्र जारी किये जाना सुनिश्चित किया जाये ।

2. कार्यरत सीनियर . भूतपूर्व सीनियर अथवा जनकी विद्युतों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के लिये कट ऑफ डेट से तीन वर्ष की प्राथमिकता दी जायेगी । इसी प्रकार निगम कर्मचारियों को शरीयत क्रम 0 माह की अग्रिम प्राथमिकता पूर्व आदेशों के अनुसार दी जायेगी ।

3. शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत व इससे अधिक विकलांग आवेदकों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के लिये कट ऑफ डेट से तीन वर्ष की प्राथमिकता निगम के आदेश क्रमांक / अअ (साधारण) जोधपुर/एल सी नं 2002/ फा प्रो 2003 दिनांक 12.2.02 के अनुसार दी जायेगी ।

4. देश की सीमाओं की रक्षा के लिये कार्मिक, प्रारण व अन्य शीतो में पुरसिठ से निपटने के लिये कई भूखंडों ने अपने प्राप्ति की आहुति दी है तन योत्साहि प्राप्त सीनियर की विद्युतों एवं सन्तान को मण्डल के उद्देश क्रमांक अर ड ए 300 को (10.11.99) अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जायेगी ।

6 इस वर्ष जिन आवेदकों को सामान्य श्रेणी में कट ऑफ डेट के अनुसार नाम पत्र जारी जाने है उनकी वरीयता क्रम की सूची बनाकर पंचायत समिति के कार्यालय में भेजी जाये तथा उसकी एक प्रति उपखण्ड कार्यालय के पट्ट पर भी लगाई जाये ।

6 पूर्व में जारी परिपत्र अवर ई ओ 12 पंचायत समितियों के कट ऑफ डेट में कुछ टंकण अशुद्धियां पाई गई थी . उन्हें शुद्ध करते हुये संशोधित पंचायत समितियों के कट ऑफ डेट का विवरण (परिशिष्ट अ) संलग्न किया जा रहा है । यही कट ऑफ डेट मान्य रहेगी ।

अ.स.स. उपखण्ड कार्यालय

उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जोधपुर

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनाएं प्रेषित हैं:-

- 1 सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर ।
- 2 सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संघा.-जोधपुर जॉन / बीकानेर जॉन), जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर / बीकानेर।
- 3 मुख्य लेखाधिकारी / वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य) जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जोधपुर
- 5 अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संघा./पी.पी.एन्ड एच./प्रकार्य प्रबन्ध/एम एम्ड पी./बी.एफ.एल.), जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जैसलमेर/नुरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ /बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधिनस्थ कार्यरत समस्त अधिकायी/सहायक अभियन्ताओं तथा सहायक राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपी अपने स्तर पर प्रेषित करावें ।
- 6 वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं संघा./एम.एच./अंशोधन), जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर/बीकानेर।
- 7 निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 8 उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर।
- 9 अधिकायी अभियन्ता (विधि/सतर्कता) जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर।
- 10 प्राव. सहा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जोधपुर।
- 11 कम्पनी सचिव जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जोधपुर

अ.स.स. उपखण्ड कार्यालय

उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
20/05/2022